

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 3376 औस/2010-11(4)एफ0/86 (वोल्यू-1)

दिनांक: 16 अगस्त, 2010

विषय :- सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुतियों के प्रभावी होने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में प्रभावी व्यवस्था के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों/सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा बाह्य रोगी की हैसियत से लम्बी अवधि की बीमारी के उपचार के सम्बन्ध में आदेश संख्या-3663-औस-17/पाकालि/2002 दिनांक 14.10.2002 द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति एक वर्ष तक वैध मानी गयी है तथा आदेश संख्या-3637-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 द्वारा दो माह की आतिरक्त छुट प्रदान की गयी है।

एतद्वारा मात्र सेवानिवृत्त कार्मिकों व पारिवारिक पेंशनरों हेतु उक्त प्रचालित व्यवस्था से विरत यह व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है कि उनके बाह्य रोगी के प्रकरणों में राज्य चिकित्सा परिषद/मण्डलीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति दो वर्ष 2 माह तक वैध मानी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या: 3376 (1) औस/2010-तददिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध अपर सचिव।
- 2- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/ (वितरण) / (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ / पूर्वांचल वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

.....2/-

- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव / संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- ~~समस्त~~ अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची एवम् चिकित्सा दरों को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु।
- 12- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 13- कट फाइल।



(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी